

कार्यालय कार्यपालन इन्ड्राधिकारी / प्राधिकृत अधिकारी  
कार्यालय कार्यपालन इन्ड्राधिकारी / प्राधिकृत अधिकारी  
अरासिक्ती

### मूल निवासी का प्रमाण-पत्र

प्रकरण क्रमांक :-

दिनांक :- 22/1/22

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी \_\_\_\_\_

राखली मल

\_\_\_\_\_ आरमज / आरमजा / परती श्री \_\_\_\_\_

नुर खान


\_\_\_\_\_ तहसील \_\_\_\_\_ व जिला \_\_\_\_\_ का/की निवासी है क्योंकि वह

- 1- म० प्र० में पैदा हुआ है / हुई अथवा -
- 2- वह पालक वैध अभिभावक के म० प्र० में निरन्तर कम से कम १५ वर्ष से रह रहा है अथवा (अभिभावक)
- 3- उसके पालकों में से स्याई राज्य शासन का सेवारत या सेवा निवृत्त कर्मचारी हैं (अथवा)
- 4- केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो म० प्र० में सेवारत है अथवा -
- 5- वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में ५ वर्ष से कार्य / चल व अचल सम्पत्ति घन्घा व्यवसाय करते है।

#### इसके अतिरिक्त-

- 1- उसे अपनी शिक्षा म० प्र० में स्थित शिक्षण संस्था में से कम से कम तीन वर्ष की शिक्षा प्राप्त की है अथवा -
- 2- उसने म० प्र० में उक्त किसी भी शिक्षण संस्था में निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम परीक्षा पास की है।
  - (अ) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा।
  - (ब) प्रगठवी कक्षा की परीक्षा।
  - (स) वाचवी / प्राथमिक प्रमाण-पत्र परीक्षा।

नोट : जो जंगल जाम न हो उन्हें काट दिया जावे।



Handwritten signature and official stamp of the District Administration, Raichakhi.